पुनर्वास महानिदेशालय

पूर्वसैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय

पुनर्वास महानिदेशालय - पूर्वसैनिकों का बेहतर पुनर्वास हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), पूर्वसैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय पूर्वसैनिकों को प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार के रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनके बेहतर पुनर्वास के लिए कार्य करता है। पुनर्वास महानिदेशालय पूर्वसैनिकों और वातावरण के बीच सेतु का कार्य करता है और यह उनके सफल और लाभप्रद पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।

रोजगार के अवसर

पंजीकरण

- पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा तीनों सेनाओं में पात्र पूर्वसैनिक (अफसरों) का पंजीकरण अब डीजीआर के इंटरएक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन होता है। यह एक बार होने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया डीजीआर द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के लिए लागू होगी।
- ईएसएम (ऑफिसर) 59 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पंजीकरण कर सकते हैं।
- अपेक्षित सहायक दस्तावेज (विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है) भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।
- अनंतिम पंजीकरण संख्या सिस्टम द्वारा स्वत: जेनरेट हो जाएगी।
- ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदन की छंटनी करने के लिए अधिकारियों की समिति गठित हुई है। समिति के गठन के बाद, अंतिम पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति व्यक्ति विशेष को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएंगी।
- यदि पंजीकरण डीजीआर द्वारा तय किए गए समय के भीतर दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो अनंतिम पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।
- डीजीआर में पंजीकरण पात्रता एवं उनके द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- योजना में परिवर्तन (केवल एक बार) - पंजीकृत अफसर यदि स्कीम बदलना चाहते हैं, तो वे अपना आवेदन/ईमेल और उसकी एक प्रति संबंधित निदेशालय में भेज सकते हैं और उसकी एक प्रति रोजगार-2 को भी भेज दें, यदि वह स्कीम में बदलाव करने के इच्छुक हैं।
- जेसीओ/ऑफिसर रैंक के लिए पंजीकरण: अभी जेसीओ/ऑफिसर रैंक के लिए मदर डेयरी दुग्ध बूथ और सफल (फल एवं सब्जियों) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध है। स्कीम के लिए पंजीकरण (व्यक्तिगत आवेदन के माध्यम से) शाखा को ईमेल/पोस्ट से भी किया जा सकता है।

अफसरों/जेसीओ/अन्य रैंक एवं समतुल्य के लिए रोजगार सहायता

डीजीआर द्वारा प्राप्त सभी रिक्त पद डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे अफसर पढ़कर चुन सकते हैं। जेसीओ/अन्य रैंक से अनुरोध है कि वे अपने स्थायी निवास स्थान वाले राज्य में संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड में अपना नाम पंजीकृत करा लें ताकि डीजीआर की वेबसाइट पर दिए गए रोजगार के लिए उनका संबंधित आरएसबी/जेडएसबी उन्हें स्पोंसर कर सके। पूर्वसैनिक का नाम डीआईएएन/आईएनपीए/डीएवी द्वारा भी भेजा जा सकता है।

आरक्षण

केन्द्रिय सिविल सेवाओं, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में पूर्वसैनिकों के लिए नौकरी में चयन उस समय प्रभावी सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाता है।

सुरक्षा एजेंसी योजना

डीजीआर के पैनल पर सुरक्षा ऐजेंसियाँ सीपीएसई, स्वायत संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बैंकों एवं विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों को डीपीई के आदेश अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली सुरक्षा सेवाएं प्रदान कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस योजना को चलाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की है। यह योजना सभी के लिए तीनों सेनाओं के सेनानिवृत अधिकारियों, जेसीओ एवं अन्य रैकों/एवं समकक्षों को पुनर्वास का अवसर प्रदान करती है। यह योजना सभी के लिए आकर्षक पारिश्रमिक, वेतन और ठोस अवसर प्रदान करती है।

प्रशिक्षण योजना

पात्रता मापदंड - अधिकारी

♦ सेवारत अधिकारी :-

- सेवा के अंतिम वर्ष में हों, सभी सेवानिवृत्त/PMR अधिकारियों के लिए।
- PMR अनुमोदित होनी चाहिये।
- प्रारंभिक संविदा सेवा पूर्ण करने जा रहे एसएससी (SSC) अधिकारी या विस्तारित सेवा अंतिम एक वर्ष के दौरान।
- डीजीआर द्वारा प्रायोजित अन्य किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा न रहे हों या DGR/DESW की किसी योजना में पंजीकृत न हों।
- भारतीय सेना के अफसर जिन्होंने सेना से पुनः रोजगार प्राप्त किया हो वे नियोजन अवधि में डीजीआर के पाठ्यक्रम के लिए पात्र नही हैं।

♦ सेवानिवृत्त अधिकारी :-

- भूतपूर्व सैनिक का मापदंड पूर्ण करते हों (भारत सरकार के नियमानुसार)।
- सेवानिवृत्ती के बाद अधिकतम 3 वर्षों तक।
- डीजीआर में पुनर्वास प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हुए किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ निजी संगठन में पुनः नियोजित नही होने चाहिएं।
- डीजीआर द्वारा प्रायोजित कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं किया होना चाहिए या न ही डीजीआर/ DESW की किसी स्कीम के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

पात्रता मापदंड - जेसीओ/ओआरः-

♦ सेवारत :-

- सेवाकाल के अंतिम 2 वर्षों में हों।
- डीजीआर द्वारा प्रायोजित अन्य किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा न रहे हों या DGR/DESW की किसी योजना में पंजीकृत न हों।

♦ सेवानिवृत्त जेसीओ/ओआर और समकक्ष रैंकः-

- भूतपूर्व सैनिक का मापदंड पूर्ण करते हों (भारत सरकार के नियमानुसार)।
- सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों तक / रिलीज या अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी संगठन में पुनः नियोजित नहीं होने चाहिएं, जब डीजीआर पुनर्वास प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हों।
- सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो।

♦ पात्रता मापदंड - विधवाएं

- मृत अधिकारी/जेसीओ/ओआर की विधवाएं डीजीआर द्वारा प्रायोजित पुनर्वास के कोर्स में अपने संबंधित आंचलिक सोल्जर बोर्ड/क्षेत्रीय सोल्जर बोर्ड/केन्द्रीय सोल्जर बोर्ड या सीधे डीजीआर में आवेदन कर सकती हैं।

स्वरोजगार के अवसर

कोयला लदान और परिवहन योजना [पूर्वसैनिकों (अफसर) और पूर्वसैनिकों के लिए]- पूर्वसैनिकों (अफसर) के लिए, यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड और पुनर्वास महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर चलाई जा रही है। इस योजना में पांच सेनिवृत पूर्वसैनिक अफसर पूर्वसैनिक कम्पनी बनाते हैं और कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के तौर पर रजिस्टर किया जाता है, जो कोयला सहायक कम्पनियों में कोयला लदान और परिवहन कार्य निष्पादन करेंगी।

पूर्वसैनिकों के लिए, यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और पुनर्वास महानिदेशालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर चलाई जाती है, जो नियम और शर्तें तय करता है और जिनके अनुसार पूर्वसैनिकों की कोयला लदान और परिवहन कंपनियों का निर्माण और प्रबंधन सीआईएल की किसी भी कोल सहायक कम्पनी में किया जाता है। पूर्वसैनिक सीधे डीजीआर/ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। टिप्पर मालिकों को बैंक से लिए गए कर्ज के अनुसार 05 से 08 लाख के बीच की उत्पादक राशि टिप्पर के लिए देनी होती है।

अपंग पूर्वसैनिकों और विधवाओं के लिए कोयला टिप्पर एटैचमेंट योजना

विधवाओं और अपंग पूर्वसैनिकों के लिए टिप्पर कंपनी द्वारा खरीदा जाता है। विधवा/अपंग सैनिक 01 लाख रुपए की उत्पादक राशी का भुगतान करते हैं और उन्हें 3000/- रुपए महीना प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। संविदा की समाप्ति पर विधवा/अपंग सैनिक को एक लाख रुपया वापस कर दिया जाता है। पात्रता शर्तें और अन्य ब्यौरे को डीजीआर की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

नोट :- सीआईएल (CIL) जनवरी 2020 से सहमति ज्ञापन से हट गया है। कम्पनियों के नए पंजीकरण, स्कीम के पुनरुद्धार के बाद शुरू होंगे।

कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित रिटेल आउटलेट का प्रबंधन

सेवानिवृत रक्षा अफसरों और जेसीओ द्वारा कॉन्ट्रेक्ट पर आधारित अधिकतम 03 वर्ष की अवधि तक प्रबंधन करने के लिए कंपनी स्वामित्व प्रचलित (कोको) रिटेल आउटलेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। यह योजना पूरे भारत में लागू है। स्पोंसरशिप के समय पूर्वसैनिक अफसरों और जेसीओ की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे कंपनी की आवश्यकतानुसार बैंक गारंटी देने के इच्छुक होने चाहिएँ। अफसरों और जेसीओ को डीजीआर द्वारा स्पोंसर किया जाएगा। अंतिम चयन तेल कंपनी की समिति के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तेल कंपनी द्वारा प्रतिमाह 30,000/- रुपए का निश्चित पारिश्रमिक तथा तेल उत्पाद की बिक्री पर इंसेटिव दिया जाएगा। तेल कंपनियों के नितिगत दिशा-निर्देश पुस्तिका के रुप में सभी प्रमुख तेल कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामों की स्पोंसरशिप के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया डीजीआर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

तेल उत्पाद एजेंसी (ओपीए) का आबंटन एवं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप उपलब्ध कराना

तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं के पात्र सदस्यों के लिए सरकारी कार्मिक श्रेणी के तहत एलपीजी वितरण के लिए एवं सीसी1 श्रेणी के तहत रिटेल आउटलेट (पैट्रोल/डीजल) के वितरण का 8% रिटेल आउटलेट विकसित करने और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कोटा आरक्षित किया हुआ है। रिटेल आउटलेट एवं एलपीजी वितरण विकसित करने के लिए स्थान की पहचान तेल कंपनियाँ अपेक्षित साध्यता अध्ययन के बाद करती हैं। रिटेल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को किसी निश्चित स्थान में चलाने के लिए पात्र पूर्वसैनिक का विज्ञापन समाचार पत्रों और कंपनी के वेबसाइट पर दिया जाता है। विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आवेदक सीधे तेल कंपनी को आवेदन कर सकता है। साथ ही आवेदक डीजीआर को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भेजे, जो चयन के समय इस प्रमाणपत्र की मूल प्रति तेल कंपनी में जमा करवानी पड़ती है। अंतिम चयन तेल कंपनी द्वारा ड्रा निकालकर किया जाता है। योजना की पात्रता एवं दिशा-निर्देश डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

पूर्व सैनिक (अफसर) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) में सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के सीएनजी स्टेशनों के प्रबंधक की योजना केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आईजीएल के कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित (कोको) आउटलेट पर चलाई जा रही है। पूर्वसैनिक (अफसर) की पात्रता शर्तें डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीजीआर में पंजीकृत ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक के सेवानिवृत पूर्वसैनिक (अफसर) को सीएनजी की वरिष्ठता सूची में आईजीएल के स्टेशन के लिए स्पोंसर किया जाता है और उन्हें आईजीएल में आयोजित साक्षात्कार के आधार पर 60 वर्ष की आयु से पहले चुना जाता है। चुने गए सेनानिवृत अफसर को तब आईजीएल द्वारा सीएनजी स्टेशन के प्रबंधन के लिए वार्षिक आधार पर अधिकतम पांच वर्षों की अवधी के लिए चुना जाता है। पूर्वसैनिक (अफसर) का पंजीकरण 59 वर्ष की आयु तक है एवं अफसर को केवल 60 वर्ष की आयु तक ही प्रायोजित किया जाएगा।

पुणे एवं आस-पास के क्षेत्रों में एमएनजीएल स्टेशनों का प्रबंधन- एमएनजीएल गेल (इंडिया) और बीपीसीएल की सहायक यूनिट है, यह दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी स्टेशनों के संचालन के समान ही पुणे में सीएनजी स्टेशनों का संचालन कर रही है। एमएनजीएल ने पुनर्वास महानिदेशालय के साथ विचार-विमर्श करके डीजीआर पुनर्वास योजनाओं के तौर पर पुणे एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में एमएनजीएल स्वामित्व वाले सीएनजी स्टेशनों के संचालन के लिए पूर्वसैनिक (अफसर) को नियुक्त करना शुरू कर दिया है। यह योजना दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी स्टेशनों के संचालन के समान है। कुछ चुने हुए स्थानों पर यह योजना जेसीओ एवं समकक्ष के लिए भी पेश की जा रही है।

मदर डेयरी दुग्ध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) दुकानों का आबंटन

मदर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड पूर्व सैनिकों को पूर्णतया सुसज्जत और बना बनाया बूथ उपलब्ध करवा रही है। इसकी फल और सब्जी (सफल) दुकानें नायक से जेसीओ रैंक एवं इनके समकक्ष के पूर्व सैनिकों को आबंटित की जाती है। यह योजना दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद एवं नोएडा), नागपुर एवं बनारस में उपलब्ध है। इस योजना के लिए पंजीकृत होने वाले पूर्वसैनिक पात्रता शर्तें एवं क्रियाविधि और दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रोजगार मेले

पूर्वसैनिकों को कॉरपोरेट नौकरी में बेहतर पदस्थापना के लिए डीजीआर द्वारा सेना मुख्यालयों के साथ मिलकर पूरे भारत में सीआईआई और फिक्की के सहयोग से रोजगार सेमिनार/जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। ये सेमिनार/जॉब फेयर पूर्वसैनिकों को बिना किसी लागत के वॉक इन अवसरों के माध्यम से उपयुक्त नौकरियाँ तलाश करने के अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा जॉब फेयर के संबंध में विभिन्न प्रचार माध्यमों से खूब प्रचार किया जाता है। क्षेत्रवार आयोजित होने वाले रोजगार सेमिनार की सूचना पुनर्वास महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जब कभी सेमीनार आयोजित किये जाएंगे और आयोजन पूर्व विभिन्न जन संचार मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित/विज्ञापित किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP)भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन से साथ

भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) का उद्देश्य देश व्यापी जेनेरीक मेडिसन फार्मेसी स्थापित करना एवं सभी को सस्ती दवाइयाँ प्रदानं करना है। सामान्य प्रोत्साहन (5 लाख रुपये /15% मासिक खरीदारी पर) के अतिरिक्त वन टाइम 2 लाख रुपये का एक विशेष प्रोत्साहन, जैसा लागू हो, वह भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया है। पॉलिसी के दिशा निर्देश और पात्रता डीजीआर की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय

पूर्वसैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-IV, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: www.dgrindia.gov.in स्वागत कक्ष: 011-26100266 फैक्स: 011-26171456
@dgrindia @dgrindia

पुनर्वास महानिदेशालय- पूर्वसैनिकों और अवसरों के बीच सेतु का काम करता है